

प्रो.क.

मानव संसाधन मंत्रालय,
नई दिल्ली,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

मानव संसाधन मंत्रालय,
नई दिल्ली, भारत ।

विषय : 17: अनुभाग

संख्यांक : दिनांक : 06 अगस्त, 2003

विषय :- **यह राज्य शिक्षा आयोग द्वारा जारी किया गया, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।**

महोदय,

उपरोक्त विषय में जोर देकर कहा जाता है कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिव्य जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 मा0 शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए अनिवारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकाई मिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

- 5- संस्था के निहित एवं नियोजित कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त होगा। संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों के कम वेतनमान तथा अन्य भौतिक सुविधाएँ दी जाएँगी।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तोंका परीक्षण और उन्हें सहायता प्राप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएँगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिजर्व निर्यात प्रमाण/प्रमाणिकाओं में रखा जाएगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/प्रतिबंध नहीं किया जाएगा।
- 2- प्रतिबंध यह भी होगा कि जो संस्थाएँ के जारी होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर संस्था द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि:-

- 1क) विद्यालय स्तर का वेतन बैंड अलग पारि में दिया जाएगा,
- 1ख) विद्यालय में 9x6 पर्यवेक्षण प्रमाणिका/प्रमाणिका का निर्माण करा दिया जाएगा, एवं
- 1ग) संस्थाओं को 30-11-91 में जारी प्रतिबंधों का समर्थन तोलाया/निर्माण/प्रमाणिका में कराया जाएगा।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी संस्था पर पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की पुनर्जांच/निरीक्षण करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अनुसूचित प्रमाणिका का पालन से लिया जाएगा।

भारतीय,

। प्रधान मन्त्री उद्देश्यी ।
संयुक्त सचिव ।

पुणे-63421 11/15-7-2003 दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुनिश्चित रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- विद्या निदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्य प्रदेश संयुक्त विद्या निदेश विनियमन मन्त्रालय, भिलाईपुर ।
- 3- विद्या निदेश निरीक्षण, मीरजापुर ।
- 4- निरीक्षण, भारतिय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- पुणे, पंजाब निदेश उपाध्याय विद्यापीठ, कला मीरजापुर ।
- 6- प्रमाण, लखनऊ ।

आज्ञा है,

22/7

। प्रधान मन्त्री उद्देश्यी ।
संयुक्त सचिव ।